पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 3155 /अका./का.प./2008 रायपुर, दिनांक : 05.12.2008

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक शुक्रवार, दिनांक 05.12.2008 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर. चन्द्राकर, कुलाधिसचिव	सदस्य
3.	डॉ. गौरीशंकर	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	सदस्य
5.	डॉ. एरा.जे. केकरे	रादरय
6.	डॉ. ए.के. शुक्ला	सदस्य
7.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	सदस्य
8.	श्री रामखिलावन गुप्ता	सदस्य
9.	श्री देवजी भाई	सदस्य
10.	डॉ. इन्दु अनंत	कुलसचिव

बैठक में श्री शलभ कुमार तिवारी, डॉ. एस.के. मुखर्जी, डॉ. जी.बी. गुप्ता, स्वामी निखिलात्मानंद जी, श्री राहुल महावर, श्री त्रिलोचन पटेल, श्री विनोद खाण्डेकर एवं श्री भूपेश बघेल अनुपस्थित रहे।

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के अनियमितता पर विचार करना।

निर्णय – परीक्षा विभाग की वस्तुस्थिति की विस्तृत जानकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई। इसके अंतर्गत लम्बे समय से विभाग में लापरवाहीपूर्वक अंकसूची जारी किया जाना, "अतिरिक्त परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त करना" के साथ–साथ डिग्रियों के निर्माण एवं प्रेषण के संबंध में चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि एम. एड. की डिग्री के स्थान पर एम.एड. उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को बेचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री चार–पाँच जाँचकर्ताओं द्वारा जाँच कर गलत डिग्री प्रेषित की गई। गलत विषय की डिग्री प्राप्ति पर संबंधित विषय की छात्रा कु. मीना सिंह द्वारा कुलपति को सम्बोधित शिकायत पत्र लिखकर सही डिग्री दिये जाने का आवेदन–पत्र प्रेषित किया गया था। कुलपति को सम्बोधित पत्र कुलपति के संज्ञान में लाये बिना परीक्षा विभाग के उपकुलसचिव द्वारा स्वतः निर्णय लेकर पूर्व में प्रेषित/जारी डिग्री को सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर निरस्त किये बिना हस्तलिखित डिग्री बनाये जाने का निर्देश परीक्षा विभाग को दिया गया और दूसरी डिग्री परीक्षा विभाग द्वारा तैयार कर दी गई है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों ने उपकुलसचिव की जवाबदेही तय करते हुये नियमानुसार उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्काल किये जाने के निर्णय लिये गये। कार्यवाही के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

2. विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 04.12.2008 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय – विद्यापरिषद की आपातिक बैठक के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान की गई।

3. डॉ. मनीष कुमार राय, रीडर, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के गतिविधियों पर विचार करना।

निर्णय – डॉ. मनीष कुमार राय, रीडर, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की गतिविधियों के सम्बंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई, यथा– कक्षायें न लेना, पाठ्यक्रम पूर्ण न कराना, छात्रहित में कोई भी गतिविधि न करना, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना, नशा कर अध्ययनशाला आना आदि। पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण से इनके व्यवहार में कोई सुधार न होने की जानकारी दी गई। इनके द्वारा फर्जी जाति प्रमाण–पत्र जमा किये जाने सम्बंधी प्रकरण पर जाँच आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किये जाने की भी सूचना दी गई। यह शिक्षक के आचरण के विरूद्ध कृत्य है। अतः कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से डॉ. मनीष कुमार राय के निलम्बन का निर्णय लिया गया।

S.K. Chaturvedi 5.12.08

कुलपति
(अध्यक्ष)

कुलसचिव
(सचिव)

पृ.क्र. : 3156 / अका. / का.प. / 2008

रायपुर, दिनांक : 05.12.2008

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / वित्ताधिकारी / आन्तरिक अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव